



पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत सरकार

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

उज्ज्वला केवाईसी आवेदन

प्रपत्र वर्सन 1.0 (आईओसी / बीपीसी / एचपीसी)

(काली स्याही द्वारा बड़े अक्षरों में भरा जाना है। सभी फील्ड भरना अनिवार्य हैं।)

उपभोक्ता विवरण

a)	आवेदक का नाम सुश्री / श्रीमती	b)	जन्म तिथि
1	प्रथम नाम	D	D
2	मध्य नाम	M	M
3	अंतिम नाम	Y	Y

अपनी तस्वीर यहां चिपकाएं

b) रसोई गैस कनेक्शन के लिए पता / संपर्क जानकारी

1	पते का प्रमाण (पीओए) श्रेणी कोड*	P	O	A	लैंडलाइन (एसटीडी कोड सहित)	/
2	घर / फ्लैट # का नाम					तल सं.
3	आवास परिसर / भवन					लैंड मार्क
4	गली/सड़क का नाम					क्षेत्र/डाक घर का नाम
5	शहर / कस्बा					पिन कोड
6	गांव / पंचायत					मोबाइल नंबर
7	ब्लॉक / उप जिला					ईमेल ID
8	जिला					@
9	राज्य					

c) 18 वर्ष से अधिक उम्र के परिवार के सदस्यों का विवरण (साझी रसोई वाले एक आवासीय इकाई में एक साथ रहने वाले लोग)

क्र. सं.	आवेदक के साथ संबंध	नाम (प्रथम नाम, अंतिम नाम)	आधार संख्या (आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें)	लिंग (M/F)
1				
2				
3				
4				
5				

पहल में शामिल होने संबंधी विवरण

c) मेरा आधार कार्ड विवरण (आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें)

1	आधार कार्ड में नाम
2	आधार संख्या

d) मेरे बैंक खाते का विवरण (पासबुक/बैंक स्टेटमेंट/रद्द चेक की प्रति संलग्न करें, जिस पर खाताधारक का नाम/खाता सं. व आईएफएससी कोड लिखा हो)

1	बैंक खाते में नाम
2	बैंक का नाम
3	शाखा का नाम
4	आईएफएससी कोड
5	बैंक खाता संख्या

राशन कार्ड विवरण (राशन कार्ड की प्रति संलग्न करें)

1	जारीकर्ता राज्य
2	राशन कार्ड संख्या

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विवरण

- a) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों से संबंधित महिलाओं को नि: शुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं।
- b) यह योजना सिलिंडर, प्रेशर रेगुलेटर की सुरक्षा जमा लागत, घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड (डीजीसीसी), सुरक्षा हॉज़ तथा स्थापना व प्रशासनिक प्रभार की लागत को कवर करने के लिए सहायता प्रदान करता है।
- c) कुकिंग स्टोव तथा पहली रिफिल भराई के लिए ईएमआई विकल्प आधारित ऋण भी उपलब्ध है। यह आपके भविष्य रिफिलों की सब्सिडी राशि वसूल हो जाएगा।
- d) ओएमसी के पास उपलब्ध बीपीएल जनसंख्या की अधिकृत सूची से इस केवाईसी फार्म में प्रस्तुत जानकारी को सत्यापित किया जाएगा।
- e) आपके घर पर पीडीएस एलपीजी कनेक्शन न होने की पुष्टि तथा सफल सत्यापन पर आपको लागू नियम एवं शर्तों के अधीन रसोई गैस कनेक्शन जारी किया जाएगा।

पीओए दस्तावेजों की सूची
आधार कार्ड (युआईडी): -पीओए01
इडविंग लाइसेंस: -पीओए02
लीज करार: - पीओए03
मतदाता पहचान पत्र: - पीओए04
टेलीफोन / बिजली / पानी के बिल: - पीओए05
पासपोर्ट: - पीओए06
राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित स्व-घोषणा: - पीओए 07
राशन कार्ड: - पीओए 08
फ्लैट आवंटन / कब्जा पत्र: - पीओए 09
आवास पंजीकरण दस्तावेज: - पीओए0
एलआईसी पालिसी: -पीओए11
बैंक / क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट: - पीओए12



पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत सरकार

उपकरण चयन (उपयुक्त बॉक्स / बॉक्सों को टिक करें)

1	वांछित एलपीजी सिलेंडर का प्रकार (वांछित उपकरण का चयन करें)	14.2 किलो सिलेंडर	5 किलो सिलेंडर
2	क्या आपको वितरक से एलपीजी स्टोव चाहिए (हां या नहीं)	हां	नहीं
3	क्या आपको एलपीजी स्टोव व पहले एलपीजी रिफिल के लिए ओएमसी से ऋण की आवश्यकता है ?	स्टोव	रिफिल <input type="checkbox"/> कोई नहीं

प्रिय एलपीजी वितरक,

मैं _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____ उम्र _____ वर्ष, निवासी _____
 अपने नाम रसोई गैस कनेक्शन लेना चाहता हूँ तथा शपथ करता हूँ कि :-

- a) मैं यहाँ पृष्ठ करता हूँ कि, इस प्रपत्र में प्रस्तुत जानकारी सही है और कुछ भी नहीं छुपाया गया है और मुझे मालूम है कि यदि कोई सूचना झूठी है, तो भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय है ।
- b) मैं आईओसी/एचपीसी/बीपीसी/एमओपीएवंएनजी को मेरे बैंक खाते के बंद/परिवर्तन/निष्क्रियण /बैंक NACH में नहीं या बैंक द्वारा किसी भी अस्वीकृति या जानकारी की गैर-गोपनीयता के कारण सब्सिडी प्रदान करने में किसी भी देरी/गैर प्राप्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा.
- c) उपरोक्त जानकारी में किसी भी संशोधन/परिवर्तन के मामले में, मैं एलपीजी वितरक को सूचित करूँगा ।
- d) मैं अपने आधार नं/जनसांख्यिकीय डेटा/बैंक खाता विवरण को अद्यतन तथा आपस में एवं बाहरी एजेंसियों द्वारा डी-डुप्लीकेशन/प्रमाणीकरण/सत्यापन उद्देश्यों हेतु साझा करने के लिए अपनी तेल कंपनी / बैंक को प्राधिकृत करता हूँ ।
- e) यदि ओएमसी से एलपीजी स्टोव तथा पहली रिफिल ऋण पर खरीदी जाती है तो मैं अपनी ओएमसी को मेरे द्वारा ली गई रिफिल की सब्सिडी से ऋण राशि वसूलने के लिए प्राधिकृत करता हूँ । मुझे पूर्ण ज्ञात है कि मेरे बैंक खाते में मेरे द्वारा खरीदे गए रिफिल की सब्सिडी प्राप्त नहीं होगी जब तक कि ओएमसी द्वारा पूरी ऋण राशि वसूली नहीं जाती ।
- f) एलपीजी के आपूर्ति तथा वितरण संबंधी सरकारी विनियमों के उल्लंघन पर आईओसी/एचपीसी/बीपीसी को मुझे एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति रोकने, सुरक्षा राशि जप्त करने तथा नियम एवं दिशानिर्देशों के अनुसार दंड प्रभार लगाने तथा प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अपना अधिकार होगा.
- g) मैं भारत का नागरिक /अप्रवासी भारतीय / भारत में सेवारत विदेशी नागरिकता का कर्मचारी / वैध वीसा के तहत भारत में निवास कर रहा विदेशी नागरिक / निवास स्थानांतरण / पीआईओ पर भारत वापस लौट रहा व्यक्ति हूँ । *जो लागू हो उसे टिक करें। केवल भारतीय नागरिक ही रियायती एलपीजी हेतु पात्र हैं।
- h) कि मेरी जन्म तिथि _____ है । (18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को एलपीजी कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है)
- i) कि मेरे या मेरे परिवार (परिवार का अर्थ पति, पत्नी, अविवाहित बच्चों तथा आश्रित माता-पिता से है जो एक साथ रहते हैं तथा एक ही रसोई का प्रयोग करते हैं) के किसी सदस्य के पास घरेलू उपयोग हेतु किसी भी पीएसयू तेल कंपनी का कोई एलपीजी अथवा पीएनजी कनेक्शन नहीं है । (परिवार, जिनके पास पीएनजी कनेक्शन है, वे रियायती एलपीजी हेतु पात्र नहीं हैं।)
- k) मैं पृष्ठ करता हूँ कि मुझे जारी किए गए एलपीजी कनेक्शन का उपयोग ऊपर उल्लिखित मेरे पते पर घर में केवल खाना बनाने हेतु किया जाएगा तथा मैं इसके उपयोग पर लागू सभी शर्तों से बाध्य रहूँगा ।
- l) कि मैं उसी रसोई में कोई दूसरा एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं रखूँगा ।
- m) जब भी मुझे इस कनेक्शन पर दूसरा सिलिंडर मिलेगा, मैं इसका उसी रसोई में मूल संस्थापन के साथ उपयोग करूँगा ।
- n) जब भी मैं अपना निवास वर्तमान पते से अन्य जगह बदलूँगा, मैं मेसर्स _____ (वितरक / आरजीजीएलवी का नाम) को रिकार्ड में अपने पते में परिवर्तन करने हेतु लिखित रूप में अधिम सूचित करूँगा ।
- o) मुझे पता है कि मेरे द्वारा उपरोक्त घोषणा पत्र तथा अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) फार्म में दी गई जानकारी, निवास प्रमाण तथा पहचान प्रमाण के आधार पर घरेलू सब्सिडीयुक्त गैस कनेक्शन जो कि मुझे मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) / भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) / हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा जारी किया जाएगा तथा मेरे नाम या मेरे परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम किसी भी सरकारी तेल कंपनी का घरेलू सब्सिडीयुक्त गैस कनेक्शन होने की डी-डुप्लीकेशन जांच पूरी होने के बाद ही इसे जारी किया जाएगा ।
- p) यदि इस घोषणापत्र में मेरे द्वारा दी गई कोई भी सूचना / घोषणा, केवाईसी फार्म अथवा निवास / पहचान प्रमाण के लिए दिए गए दस्तावेज गलत/असत्य पाए जाते हैं तो संबंधित तेल कंपनी को गैस की आपूर्ति रोकने/कनेक्शन बंद करने/उपकरण जप्त करने/सिक्वोरिटी जप्त करने का पूरा अधिकार होगा तथा मैं इस प्रकार गैस की आपूर्ति रोकने/कनेक्शन बंद करने/उपकरण जप्त करने/सिक्वोरिटी जप्त करने के विरुद्ध मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन पर कोई दावा नहीं करूँगा ।

तिथि :-

घोषणा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान :-

नाम :-

डीलर/वितरक द्वारा भरा जाए

मैं पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त दस्तावेजों की प्रतियों को उनकी मूल प्रति से सत्यापित कर लिया गया है।

एएचएल टिन नंबर

[illegible]

(एएचएल टिन नंबर एसईसीसी सूची में चिह्नित है, जो परिवार में किसी व्यक्ति से संबंधित है।)

एलपीजी आर्डडी (यदि आवंटित हो)

[illegible]

वितरक के हस्ताक्षर

पावती पर्ची

(नाम) _____ स्थान _____ से उज्ज्वला आवेदन प्रपत्र प्राप्त किया गया ।

एएचएल टिन नंबर

[illegible]

(एएचएल टिन नंबर एसईसीसीसी सूची में चिह्नित है, जो परिवार में किसी व्यक्ति से संबंधित है।)

दिनांक:

वितरक के हस्ताक्षर व मूहर